ई, मेल :- dforudraprayag @gmail.com
फोन / फैक्स नं0 :- 01364 – 233505::
पता –: माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक 2899. / 12-1(2) दिनांक 08/06/ /2018::

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
ऊखीमठ।

विषय :– **खण्ड के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों में एन0पी0वी0 व अन्य धनराशि जमा करने हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 के अनुसार पुनः डिमाण्ड नोट उपलब्ध करवाने के संबंध में।**

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक–1493 / 13सी0 दिनांक 02.06.2018।

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि आप द्वारा प्रेषित 10 (दस) मोटर मार्गो में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की अध्यारोपित शर्तो के अनुपालन में प्रेषित डिमांड नोटो की इस कार्यालय द्वारा जांच की गयी, जो कि वसूली वर्ष 2018–19 की दरो के अनुसार सही पाये गये।

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

O/C

ई, मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन/ फैक्स नं0 :- 01364 – 233505::
पता –: माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक :- 2445 / 12-1(2) दिनांक 20-4-/2018::

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
ऊखीमठ।

विषय :– जनपद–रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत नागजगई–फेगू–बरम्वाड़ी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.451 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में।
PROPOSAL NO. -FP/UK/ROAD/17679/2016

सन्दर्भ :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून का पत्रांक–2899/FP/UK/ROAD/17679/2016 दिनांक 21.02.2018।

भारत सरकार ने उनके पत्रांक–08बी/यू0सी0पी0/06/176/2016/एफ0सी0/1871 दिनांक 13.02.2018 के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्रदत्त अध्यारोपित शर्तों के अनुपालन में जमा की जाने वाली धनराशियों का संशोधित डिमांड नोट निम्न प्रकार प्रेषित है।

(1) शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तन भूमि के बदले 2.902 है0 ग्राम–फेगू सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु देय धनराशि प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–596/3–5–2 दिनांक 19.08.2015 में उल्लिखित वसूली वर्ष–2018–19 के लिये निर्धारित दर के अनुसार रुपये 2.902 ha. @ 278665.00 = 808686.00 (आठ लाख, आठ हजार, छः सौ छियासी) मात्र की धनराशि जमा की जानी है।

(2) शर्त संख्या–2 के अनुपालन में ऑनलाईन भरे गये प्रपत्र–भाग–2 के अनुसार प्रशनगत क्षेत्र इको क्लास–V के अन्तर्गत है तथा हरियाली का घनत्व 0.20 है। तद्नुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0–सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित दरों के अनुसार रुपये 1.451 ha. @ 657000.00/ha.=953307.00 (नौ लाख, तिरपन हजार, तीन सौ सात) मात्र की धनराशि जमा की जानी है।

अतः उपरोक्तानुसार आंकलित की गई धनराशियों का अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून कार्यालय से सत्यापित होने के पश्चात् ही धनराशियों को नियमानुसार जमा करना सुनिश्चित करें।

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या– /दिनांकित।

प्रतिलिपि :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग

भूमि सहायक
25/04/18